

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), जैसलमेर

क्रमांक : आ.प्र.एवं सहा./कृ.आ.अ./सं. 2080/2024/6955

दिनांक:- 03/09/2025

प्रेषित :-

संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय: - खरीफ संवत् 2080 वर्ष 2023 में फसल खराबों से प्रभावित कृषकों की बजट मांग बाबत।

सन्दर्भ: - इस कार्यालय द्वारा डीएमआईएस पोर्टल पर की गई बजट मांग के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ में निवेदन है कि खरीफ संवत् 2080 वर्ष 2023 में फसल खराबों से प्रभावित कृषकों को कृषि आदान अनुदान वितरण करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर बजट मांग विभाग को प्रेषित की गई। विभाग द्वारा चाहे गये निर्धारित प्रारूप में सूचना निम्नानुसार सादर प्रेषित हैं।

मद गतिविधि के लिए संवत्/अवधि में लाभार्थियों की कुल संख्या	मद गतिविधि में पूर्व में स्वीकृत उक्त पात्र लाभार्थियों		मद गतिविधि में इस स्वीकृति में लाभार्थियों की		मद/गतिविधि में अवशेष लाभार्थियों की	
	संख्या	राशि रु.	संख्या	राशि रु.	संख्या	राशि रु.
1	2	3	4	5	6	7
67061	284	20,73,197	65537	93,91,12,429	0	0

विभाग द्वारा जारी पत्रांक राजकाज 14545448 दिनांक 03.04.2025 एवं राजकाज 16474850 दिनांक 14.07.2025 के क्रम में निवेदन हैं कि अभाव खरीफ संवत् 2080 वर्ष 2023 में फसल खराबों से प्रभावित कृषकों का विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित किया गया। दैनिक समाचार पत्रों में DMIS पोर्टल हैक होने व गलत भुगतान के संबंध में प्रकाशित खबरों पश्चात् विभाग द्वारा एक समय पोर्टल बंद कर दिया गया था तत्पश्चात् विभाग द्वारा पुनः चालू करने पर इस कार्यालय द्वारा पटवारियों व तहसीलदारों से वेरिफिकेशन करवाने के पश्चात् जिले के 725 कृषकों के डाटा गलत होने पर रिजेक्ट किये गये एवं शेष कृषकों की वित्तीय स्वीकृति जारी कर भुगतान हेतु बिल कोष कार्यालय प्रेषित किये गये। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर होने पर कृषकों को संपूर्ण भुगतान नहीं हो पाया व बजट व्यपगत हो गया। अब इस कार्यालय द्वारा पटवारियों व तहसीलदारों द्वारा किये गये वेरिफिकेशन के आधार पर पुनः बजट मांग प्रेषित की गई हैं इस कार्यालय स्तर पर कोई विलंब नहीं हुआ हैं।

विभाग से बजट आवंटन होने पर पटवारियों व तहसीलदारों से पुनः वेरिफिकेशन करवाकर एक माह के भीतर समस्त कृषकों का भुगतान कर दिया जायेगा एवं सक्षम स्तर से जारी प्रशासनिक स्वीकृतियां संलग्न हैं।

अतः इस संबंध में निवेदन हैं कि इस कार्यालय द्वारा प्रेषित अभाव खरीफ संवत् 2080 वर्ष 2023 में फसल खराबों से प्रभावित 65537 कृषकों हेतु राशि रु. 93,91,12,429 का बजट आवंटन कराने का श्रम करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

प्रभारी अधिकारी सहायता एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, जैसलमेर

क्रमांक: dms/jsm/smf/kharif/2080/6816

दिनांक: 05/08/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2080/JAI/0009920

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2080 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 5576 दिनांक 21.11.2023 एवं क्रमांक 93-113 दिनांक 05.01.2024 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2080 (खरीफ -2024) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
पोकरण	2807	SMF	75%-100%	24623121
फालसूड	4803	SMF	75%-100%	50085501
सम	2455	SMF	75%-100%	21062138
फतेहगढ़	1151	SMF	75%-100%	11549094
योग	11216			107319854

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कृषकों हेतु 2245-01-800-(03)-[05]-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
जैसलमेर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
जैसलमेर

Signature valid

Digitally signed by Prateep Singh
Date: 2025.08.06 20:13:00 IST
Reason: Self Attested



आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, जैसलमेर

क्रमांक: dms/jsm/smf/kharif/2080/6817

दिनांक: 05/08/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2080/JAI/0009921

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2080 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 5576 दिनांक 21.11.2023 एवं क्रमांक 93-113 दिनांक 05.01.2024 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2080 (खरीफ -2024) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
जैसलमेर उपनिवेशन	369	SMF	50%-75%	2678985
भनियाना	331	SMF	50%-75%	2936325
फालसूड	275	SMF	50%-75%	2611540
फतेहगढ़	2963	SMF	50%-75%	26107733
रामगढ़	350	SMF	50%-75%	2531550
रामगढ़ न.1	92	SMF	50%-75%	906185
पोकरण	2959	SMF	50%-75%	24975597
रामगढ़ न. 2	72	SMF	50%-75%	953935
योग	7411			63701850

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कृषकों हेतु 2245-01-800-(03)-[05]-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
जैसलमेर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
जैसलमेर

Signature valid

Digitally signed by Pradeep Singh
Date: 2025.08.06 20:11:54 IST
Reason: Self Attested



आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, जैसलमेर

क्रमांक: dms/jsm/smf/kharif/2080/6818

दिनांक: 05/08/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2080/JAI/0009922

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2080 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 5576 दिनांक 21.11.2023 एवं क्रमांक 93-113 दिनांक 05.01.2024 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2080 (खरीफ -2024) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
फालसुंड	51	SMF	33%-50%	526309
फतेहगढ़	660	SMF	33%-50%	5651958
रामगढ़	497	SMF	33%-50%	3497586
पोकरण	582	SMF	33%-50%	4983383
योग	1790			14659236

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कृषकों हेतु 2245-01-800-(03)-[05]-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
जैसलमेर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
जैसलमेर

Signature valid

Digitally signed by Pralap Singh
Date: 2025.08.06 20:04:40 IST
Reason: Self Attested



आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, जैसलमेर

क्रमांक: dms/jsm/osmf/kharif/2080/6819

दिनांक: 05/08/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2080/JAI/0009923

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2080 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 5576 दिनांक 21.11.2023 एवं क्रमांक 93-113 दिनांक 05.01.2024 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2080 (खरीफ -2024) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
पोकरण	8434	Other Than SMF	75%-100%	142750523
सम	2536	Other Than SMF	75%-100%	42452825
फतेहगढ़	2093	Other Than SMF	75%-100%	35227267
रामगढ़ न.1	831	Other Than SMF	75%-100%	14082120
फालसुंड	5792	Other Than SMF	75%-100%	93992385
योग	19686			328505120

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कृषकों हेतु 2245-01-800-(03)-[06]-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
जैसलमेर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
जैसलमेर

Signature valid

Digitally signed by Prateep Singh
Date: 2025.08.06 20:33:15 IST
Reason: Self Attested



आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, जैसलमेर

क्रमांक: dms/jsm/osmf/kharif/2080/6820

दिनांक: 05/08/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2080/JAI/0009924

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2080 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 5576 दिनांक 21.11.2023 एवं क्रमांक 93-113 दिनांक 05.01.2024 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2080 (खरीफ -2024) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
रामगढ़ न.1	3726	Other Than SMF	50%-75%	61859229
फालसूंड	387	Other Than SMF	50%-75%	6551885
पोकरण	6611	Other Than SMF	50%-75%	111034481
फतेहगढ़	6783	Other Than SMF	50%-75%	112509441
जैसलमेर उपनिवेशन	2536	Other Than SMF	50%-75%	42829301
रामगढ़ न. 2	2663	Other Than SMF	50%-75%	43784059
भनियाना	895	Other Than SMF	50%-75%	15215000
रामगढ़	172	Other Than SMF	50%-75%	2924000
योग	23773			396707396

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कृषकों हेतु 2245-01-800-(03)-[06]-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
जैसलमेर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
जैसलमेर

Signature valid

Digitally signed by Pradeep Singh
Date: 2025.08.06 20:51:44 IST
Reason: Self Attested



आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, जैसलमेर

क्रमांक: dmls/jsm/osmf/kharif/2080/6821

दिनांक: 05/08/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2080/JAI/0009925

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2080 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 5576 दिनांक 21.11.2023 एवं क्रमांक 93-113 दिनांक 05.01.2024 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2080 (खरीफ -2024) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है।

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
रामगढ़	213	Other Than SMF	33%-50%	3621000
फतेहगढ़	810	Other Than SMF	33%-50%	13770000
पोकरण	638	Other Than SMF	33%-50%	10827973
योग	1661			28218973

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कृषकों हेतु 2245-01-800-(03)-[06]-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
जैसलमेर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सन्भागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
जैसलमेर

Signature valid

Digitally signed by Prateep Singh
Date: 2025.08.06 19:38:23 IST
Reason: Self Attested

